

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

ब्लॉक संख्या 4, शिक्षा संकुल, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर

ईमेल—hrd.cce@gmail.com दूरभाष नं. : 0141-2705471

क्रमांक: एफ1(2)(238)पीएस / निकाशि / 23 /

दिनांक

—: आदेश :—

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक F1(6)DOP/A-II/84Pt. दिनांक 14-10-2022 के अन्तर्गत नियम-23 के अनुसार गठित मूल्यांकन समिति की आयोजित बैठक दिनांक 30.09.2023 में की गई अनुशंसा के क्रम में कैरियर एडवांसमेन्ट योजनान्तर्गत **MATHEMATICS** विषय के निम्नलिखित सहायक आचार्यों को उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से सहायक आचार्य (वरिष्ठ वेतनमान) पद पर पदोन्नत किया जाता है:—

S.NO.	NAME	DATE OF BIRTH	DATE OF AWARD
1	ANNU BANSHIWAL	12.05.1991	25-01-2022
2	DHARAMENDER SINGH	01.01.1992	08.08.2022
3	DINESH KUMAR VARMA	10.01.1989	16.06.2018
4	GAYATRI TANWAR	15.12.1985	26.12.2022
5	HEMANT KUMAR	02.10.1986	21.01.2019
6	JAI PRAKASH	04.09.1982	23-12-2022
7	KEJAL KHATRI	09.09.1985	13.01.2022
8	MANOJ KUMAR TATWAL	06.05.1987	04.11.2019
9	MENU DEVI	06.06.1987	02.01.2022
10	MUKESH SHARMA	01.06.1978	14-12-2021
11	PURUSHOTTAM JHAROTIA	01.09.1989	28.07.2022
12	RAJ KUMAR	28-04-1993	14-08-2022
13	RAKESH KUMAR	24-10-1984	28-12-2022
14	SAHANAWAZ KHAN	06.04.1992	31-05-2022
15	SATYAVEER SINGH	15-06-1982	31-01-2022
16	SHISHUPAL	25-08-1974	29-10-2018
17	SUBHASH CHANDRA BOLA	17-04-1989	02.07.2022

नोट:— पदोन्नत सहायक आचार्य (वरिष्ठ वेतनमान) तत्काल पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें। उक्त सहायक आचार्यों (वरिष्ठ वेतनमान) को वित्त विभाग (RULES DIVISION), राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक F14(1)FD/Rules/2009 दिनांक 19.09.2022 के अनुसार भुगतान देय होगा।

आयुक्त

कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
Signature valid

Digitally signed by Sunil Sharma
Designation: Commissioner
Date: 2023.10.02 16:38:55 IST
Reason: Approved

1

RajKaj Ref No. : 4820501



प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-3) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
6. मुख्य लेखाधिकारी, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
7. संयुक्त निदेशक (एच.आर.डी.)/संबंधित प्राचार्य को लेख है कि आदेश की प्रति संबंधित की व्यक्तिगत पत्रावली में नत्थी करें।
8. संबंधित अधिकारी।
9. वेबसाईट प्रभारी – कृपया विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें।
10. स्थापना शाखा।
11. रक्षित पत्रावली।

आयुक्त
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

Signature valid

Digitally signed by Sunil Sharma
Designation: Commissioner
Date: 2023.10.02 16:38:55 IST
Reason: Approved

2

RajKaj Ref No. : 4820501

